No.31011/2/2006-Estt.(A)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension
Department of Personnel & Training
Estt.(A) Section

...

New Delhi, dated 3rd December, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Central Civil Services (LTC) Rules, 1988 – clarification regarding reimbursement of fare in respect of air travel by non-entitled officers .

After issue of DOP&T O.M. No. 31011/2/2006-Estt.(A) dated 24th April, 2006 and dated 21st May, 2007 regarding regulation of journeys by private airlines while availing Leave Travel Concession. Certain clarifications have been sought by Government servants/various Ministries/Departments from time to time. The doubts raised by various authorities are clarified as under:-

	Points raised	**Clarification**
1.	As per DOP&T O.M.No. 31011/2/2006-Estt.(A) dated 24th April, 2006 journey by private airlines is permissible to non-entitled officers for LTC subject to condition that re-imbursement of fare would be restricted to the entitled class by rail. Whether train fare upto Rajdhani/Shatabdi Express is re-imbursable?	Yes. As per DOP&T O.M.No. 31011/2/2007-Estt.(A) dt. 21st May, 2007 re-imbursement at the rates applicable for Rajdhani/Shatabdi Express trains is permissible provided the Government servant is entitled to travel by such trains in such class and the places visited or the portion traveled by air is directly connected by Rajdhani/Shatabdi. Thus, the DOP&T O.M.No. 31011/8/1998-Estt.(A) dated 31.3.1999 stands modified to this extent in respect of item 5 therein.
2.	If the Home Town /place of visit under All-india LTC of an employee is connected by Train/Road but is not directly connected by Air Rajdhani/Shatabdi Express Trains. In such a case can the employee be entitled to re-imbursement of fare by Rajdhani/Shatabdi Express Trains and partly by rail/road.	All the other clarifications regarding re-imbursement of fare by Rajdhani/Shatabdi trains contained in this Department's O.M. No. 31011/8/1998-Estt(A) dated 31.3.1999 will continue to apply while regulating the admissible fare in the case of such air journeys on LTC.
3.	If a Government employee/his family member is entitiled to concessional train fare such as Senior citizen, Student concession, children etc. whether in case of air travel, the re-imbursement would be restricted to such concessional fare by train in entitled class.	If full air fare has been charged by the airlines and paid by the Government servant the re-imbursement would be restricted to the full train fare in entitled class including Rajdhani/Shatabdi.

(P. Prabhakaran)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Governement of India (with usual number of copies)

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapathi Bhavan, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
6. Central Vigilance Commission, New Delhi
7. Union Public Service Commission, New Delhi.
8. Staff Selection Commission, New Delhi.
9. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
10. All Union Territory Administrations.
11. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
12. All attached and Subordinate Offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension.
13. All Officers and Sections of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
14. Website Section, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi.
15. Facilitation Centre, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi – 25 spare copies.
16. 100 spare copies.

संख्या-31011/2/2006-स्थापना (क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

स्थापना (क) अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर, 2007.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 – हवाई यात्रा के गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा किए जाने के मामले में किराए की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय प्राइवेट एयरलाइनों द्वारा की जाने वाली यात्रा का विनियमन किए जाने के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.04.2006 और 21.05.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-31011/2/2006-स्थापना(क) के जारी किए जाने के पश्चात, समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों/विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कतिपय स्पष्टीकरण मांगे जाते रहे हैं। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए संदेहों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

	उठाए गए मुद्दे	स्पष्टीकरण
1.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.04.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 31011/2/2006-स्था.(क) के अनुसार, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हवाई यात्रा के गैर-हकदार अधिकारियों को प्राइवेट एयरलाईन से हवाई यात्रा करने देना, इस शर्त पर मान्य है कि किराए की प्रतिपूर्ति, रेल की हकदारी की श्रेणी तक ही सीमित होगी। क्या राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस तक का किराया प्रतिपूर्ति योग्य है?	जी, हां। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.05.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-31011/2/2007-स्थापना(क) के अनुसार, राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाडियों पर लागू किराए की दरों के अनुसार ही प्रतिपूर्ति मान्य है बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी ऐसी श्रेणी में इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने का हकदार हो और यात्रा किए जाने वाला स्थान अथवा यात्रा का वह हिस्सा; राजधानी/शताब्दी से सीधा जुड़ा हो। इस प्रकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 31.03.1999 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-31011/8/1998-स्थापना(क), इसमें दी गई मद संख्या 5 के संबंध में उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।
2.	यदि किसी कर्मचारी का गृह-नगर/अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत यात्रा का स्थान, रेलगाड़ी/सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा है लेकिन हवाई मार्ग/राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस से सीधा नहीं जुड़ा है	छुट्टी यात्रा रियायत पर ऐसी हवाई यात्रा करने के मामले में मान्य किराए को विनियमित करते हुए, इस विभाग के दिनांक 31.03.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-31011/8/1998-स्थापना(क) में विहित

	तो ऐसे मामले में क्या कर्मचारी, किराए के कुछ हिस्से की प्रतिपूर्ति, राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडियों से और कुछ हिस्से की प्रतिपूर्ति रेल/सड़क से पाने का हकदार है।	राजधानी/शताब्दी रेल गाड़ियों के किराए की प्रतिपूर्ति से संबंधित सभी अन्य स्पष्टीकरण ज्यों के त्यों लागू होंगे ।
3.	यदि कोई सरकारी कर्मचारी/उसके परिवार का कोई सदस्य, वरिष्ठ नागरिक रियायत किराया, छात्र रियायत किराया, बच्चों को रियायत किराया इत्यादि जैसे छूट प्राप्त रेलगाड़ी के किराए का हकदार हैं तो क्या हवाई यात्रा के मामले में प्रतिपूर्ति, हकदारी की श्रेणी में रेलगाड़ी द्वारा ऐसे रियायती किराए तक सीमित होगी।	यदि एयरलाइनों द्वारा पूरा हवाई किराया लिया गया है और सरकारी कर्मचारी द्वारा इसकी अदायगी की गई है तो प्रतिपूर्ति, राजधानी/शताब्दी सहित रेलगाड़ी की हकदारी की श्रेणी में, रेलगाड़ी के पूरे किराए तक सीमित होगी।

(पी. प्रभाकरण)
भारत सरकार के उप सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अतिरिक्त प्रतियों सहित)

प्रतिलिपि :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, नई दिल्ली।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
10. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
11. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
12. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
13. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।
14. वेब साइट अनुभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
15. सूचना सुविधा केन्द्र, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 25 अतिरिक्त प्रतियां।
16. 100 अतिरिक्त प्रतियाँ।